न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23 / 2021

प्रार्थीगण

1. चांपाराम पुत्र धनाराम
2. वीराराम पुत्र हिन्दूराम जातियान कलबी निवासीयान मैत्रीवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. अजा पुत्र भगु
2. करसन पुत्र सोमाराम
3. कृष्ण पुत्र रतना
4. कानाराम पुत्र सोमाराम
5. गोदाराम दत्तक पुत्र धनाराम
6. गोदाराम पुत्र जेठा
7. जीवाराम पुत्र हीरा
8. पदमाराम पुत्र हीरा
9. पूराराम पुत्र सोमाराम
10. बलवन्ता पुत्र रतना
11. मीरा पत्नि रतना
12. समूदेवी पत्नि सोमाराम
13. सवसी पुत्र रतना
14. हरजीराम पुत्र हीरा जातियान कलबी निवासीयान सेवाडा तहसील रानीवाडा
15. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
16. आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक
17. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा
18. एस.बी.आई. बैंक(पूर्व में एस.बी.बी.जे बैंक शाखा रानीवाडा)

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री आदूराम चौधरी
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 15 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 29.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसमें [illegible] है कि मौजा सेवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 448 रकबा 6.01 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 449 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.04 हेक्टेयर जुमले रकबा 6.13 हेक्टेयर आई हुई हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक या

रेकर्डेड रास्ता नहीं हैं। उक्त रास्ते के अभाव में हमारी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने में भारी कठिनाई आ रही हैं। इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहे है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 6.04 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.13 हेक्टेयर आवागमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 467 रकबा 3.42 हेक्टेयर के खातेदारो में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार काना पुत्र रतना की मृत्यु अविवाहित हो चुकी हैं तथा इनके प्रथम श्रेणी के वारीसान माता अप्रार्थी संख्या 11 मीरा पत्नि रतना प्रकरण हाजा व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में संयोजित हैं। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 467 के खातेदारान को नियमानुसार प्रतिकर देने के लिये तैयार हैं।

2. अत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा सेवाडा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 448 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 6.04 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.13 हेक्टेयर आराजी में आवागमन हेतु निकटतम दूरी से अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की खातेदारी खसरा नम्बर 467 रकबा 3.42 हेक्टेयर में से तहसीलदारजी की रिपोर्ट अनुसार 195 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 450 तक दिलवाने के आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हूए। तथा अप्रार्थीगण द्वारा इकबालिया जवाब दिया गया। जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुतोष में मांगे गये रास्ते को हम देने को तैयार हैं। हमें उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ता देने में कोई उजर एतराज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकार कर फैसल फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 15 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चांपाराम पुत्र धनाराम, वीराराम पुत्र हिन्दुराम कौम कलबी साकिन मैत्रीवाडा के खसरा नम्बर 448, 449, 450 के खातेदार है। उक्त खसरे में पंहूचने हेतू राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है एवं इन्हे मार्ग की अति आवश्यकता है। प्रार्थीगण के समस्त खातेदारी खसरो की जमाबंदी संलग्न है। उपरोक्त खसरा के आवागमन हेतू नजदीकतम मार्ग सराकरी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 476 गे.मू. नाडी व इससे लगते हुए खसरा नम्बर 1689/1537, 1690/1538, 1692/462 समर्पण की हुई भूमि है। खसरा नम्बर 448, 449, 450 हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य में आने वाले खसरा नम्बर 467 है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई चौड़ाई मीटरों में खसरा नम्बर वार निम्न प्रकार है। खसरा नम्बर 467 में लम्बाई 195 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षैत्रफल 780 वर्गमीटर है। इनकी वर्तमान डीएलसी दर 552600/— प्रति हैक्टेयर है। कुल प्रतिकर राशि की दूगनी राशि 86204/— बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष, पहाड़, नाडी व केचमेन्ट ऐरिया आदि में नही है।

5. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नम्बर 448 ,449, 450 रकबा क्रमश 0. 01, 0.08, 6.04 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.13 हेक्टेयर मौजा सेवाडा की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 131 में [illegible] मौजा सेवाडा के जमाबंदी संवत 2074—77 में अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नाम से खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 3.42 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 316 में दर्ज है। खसरा नम्बर 467 के आगे सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 476 गे.मू. नाडी व इससे लगते हुए खसरा नम्बर 1689/1537, 1690/1538, 1692/462 समर्पण की हुई भूमि है। प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: Self Attested

खसरा नम्बर 448, 449, 450 व 476 के बीच में खसरा नम्बर 467 रकबा 3.42 हेक्टेयर है, जिस में से आवागमन हेतु 195 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर आराजी की आवश्यकता होगी। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी 448, 449, 450 में आवागमन कर सकेगा। खसरा नम्बर 467 के खातेदारों द्वारा अपनी आराजी में से रास्ता देने हेतु अपने ईकबालिया जवाब में सहमति व्यक्त कि है। खसरा नम्बर 467 के पास खसरा नम्बर 476 किस्म गै.मू. नाडी स्थित है। उक्त नाडी में से वर्तमान में आवागमन का रास्ता चल है। तहसीलदार रानीवाडा के जवाब में प्रार्थीगण को रास्ते हेतु खसरा नम्बर 467 में लम्बाई 195 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 552600 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतित होने से स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 448, 449, 450 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 467 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 195 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर है। जो खसरा नम्बर 448, 449, 450 से प्रार्थीगण की आराजी से जोडता है। खसरा नम्बर 467 के आगे खसरा नम्बर 476 किस्म गै.मू. नाडी स्थित है। उक्त नाडी में से वर्तमान में आवागमन का रास्ता चल है। जो आगे सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 1689/1537, 1690/1538, 1692/462 से जूडता है। खसरा नम्बर 467 की डी.एल.सी दर 552600 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 14 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 14 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 195 मीटर व चौडाई 4 कुल क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर